उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 1758-काविनी एवं वे0प्र0-29 / पाकालि / 09-14-काविनी / 87 दिनांक 23 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में योजित याचिका संख्या 491 (एस/बी)/2007-(श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा, अधिशासी अभियन्ता बनाम प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०) में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.05.2007 तथा मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका संख्या 14917/2007 (सिविल अपील संख्या 670/08) (उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० बनाम श्री अयोध्या प्रसाद मिश्रा एवं अन्य) में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश/निर्णय दिनांक 11.09.08 के अनुपालन में पूर्ववर्ती परिषद के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1327-काविनी/राविप-29/96-14-काविनी/87 दिनांक 11 जुलाई, 1996 के प्रस्तर-1(VIII) (अद्यतन संशोधनों सहित) में ''श्रेष्ठता मापदण्ड'' के आधार पर किये जाने वाले चयनों में ''चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना'' शीर्षक के अधीन वर्तमान में लागू व्यवस्था नीचे (स्तम्भ-1) को (स्तम्भ-2) में उल्लिखित व्यवस्था द्वारा संशोधित किया जाता है :-

(1) वर्तमान व्यवस्था	(2) संशोधित व्यवस्था
VIII) (ख) **चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना** प्रस्तर (VII) के अनुसार वर्गीकृत/वर्गीकरण करने के पश्चात सर्वप्रथम श्रेणी-I के अभ्यर्थियों में से उनके वरिष्ठता कम के अनुसार चयन किया जायेगा। तदन्तर आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के अभ्यर्थियों में से शेष रिक्तियों के लिए चयन किया जायेगा। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के श्रेणी-1 एवं 2 में से चयनित समस्त अभ्यर्थियों के नाम उनके मूल वरिष्ठता कमानुसार पुर्नव्यवस्थित करके चयन सूची (सेलेक्ट लिस्ट) बनायी जायेगी जो उनकी पारस्परिक वरिष्ठता सूची होगी तथा इसी वरिष्ठता सूची के कमानुसार ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।	VIII) (ख) **चयन तथा चयन सूची का तैयार किया जाना** प्रस्तर (VII) के अनुसार वर्गीकृत/वर्गीकरण करने के पश्चात श्रेणी-I के अभ्यर्थियों में से उनके वरिष्ठता कम के अनुसार चयन किया जायेगा। तदन्तर आवश्यकतानुसार श्रेणी-2 के अभ्यर्थियों में से शेष रिक्तियों के लिए चयन किया जायेगा। **इस प्रकार श्रेणी-1 में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कम में पहले चयन सूची तैयार की जाएगी तथा तदन्तर शेष रिक्तियों हेतु श्रेणी-2 में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कम में चयन सूची तैयार की जाएगी। तदुपरान्त प्रथमतः श्रेणी-1 में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कमानुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जाएगें एवं इसके पश्चात श्रेणी-2 में चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता कमानुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जाएगें।**

(कमशः.....2)

2- उपरोक्त संशोधित व्यवस्था चयन वर्ष 2006–07 से प्रभावी होगी।

3- कार्यालय ज्ञाप संख्या 1327–काविनी/राविप–29/96–14–काविनी/87 दिनांक 11.07.96 (अद्यतन संशोधनों सहित) के अन्य प्राविधान अपरिवर्तनीय रहेंगें।

4- संगत विनियमों में यथा आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशासन)

सं0 1758–(1) काविनी एवं वे0प्र0 – 29 / पाकालि / 2009 – तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1- सचिव (ऊर्जा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- सचिव (कार्मिक), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, से सम्बद्ध मुख्य महाप्रबन्धक।
4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०/ प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
5- अपर प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ/केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ।
7- समस्त निदेशकगण, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0 प्र0 पा०का०लि0, बी–17, जे0 रोड, महानगर विस्तार, लखनऊ।
10- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
11- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
14- अनुसचिव (विनियम), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
16- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17- समस्त अधिकारी/अनुभाग उ0प्र0 पा०का०लि०(मु०) शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
18- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
19- कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 को सम्पन्न पिचहत्तर (21)/08 बैठक में पारित निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।

आज्ञा से,

(मो० राशिद)

संयुक्त सचिव (काविनी)